




# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

ईमेल - rddrei@gmail.com

फोन- 2705937, 2706069

क्रमांक: राप्राशिप/जय/2017/ 3233

दिनांक : 14/11/17

जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन  
जिला परियोजना समन्वयक  
सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा  
समस्त जिले।


अति. जिला परियोजना समन्वयक  
सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा  
समस्त जिले।

विषय : दिनांक 15.11.2017 को दोपहर 02 बजे से 4 बजे तक समस्त बीईईओ एवं पीईईओ  
की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग।

संदर्भ : परिषद कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 9159 दिनांक 13.11.2017

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा आयोजित वी.सी. में जिले के अधिकारी जिले के एन.आई.सी.  
केन्द्र के स्थान पर **DOIT अटल सेवा केन्द्र** से वी.सी. में शामिल होंगे। शेष सूचनाएं संदर्भित पत्र के अनुसार  
ही रहेगी।

संदर्भित पत्र इस पत्र के पृष्ठभाग पर अंकित है।

  
(डॉ. जोगा राम)  
आयुक्त

क्रमांक: राप्राशिप/जय/2017/ 3234

दिनांक : 14/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
4. निजी सचिव निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
5. निजी सचिव राज्य परियोजना निदेशक, रमसा जयपुर।
6. निजी सचिव निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
7. तकनीकी अधिकारी, डीओआईटी, जयपुर।
8. समस्त उपायुक्त राप्राशिप, जयपुर।
9. नियंत्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
10. श्री विनोद जैन, प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी शिक्षा संकुल जयपुर।
11. उपनिदेशक गुणात्मक शिक्षा, उपनिदेशक प्रशिक्षण, उपनिदेशक सामु. गति. एवं सहा. निदेशक आरटीई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त एजेण्डे के विषय में चर्चा के बिन्दु सहायक निदेशक मॉनिटरिंग को प्रस्तुत करें।
12. सहायक निदेशक मॉनिटरिंग को निर्देशित किया जाता है कि एजेण्डा अनुसार चर्चा के बिन्दु माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी को प्रेषित करते हुये वी.सी. आयोजित करावें।
13. प्रोग्रामर आईटी राप्राशिप जयपुर को निर्देशित किया जाता है वी.सी. हेतु डीओआईटी से समन्वयन कर स्लोट बुक कराये एवं राप्राशिप के वी.सी. रूम की समस्त व्यवस्थायें तकनीकी रूप से संचालित करावें।
14. सहायक निदेशक स्टोर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वी.सी. हेतु 20 संभागियों के चाय जलपान की व्यवस्था करावें।
15. समस्त बीईईओ एवं समस्त पीईईओ।
16. रक्षित पत्रावली।

  
(रक्षा पारीक)  
उपायुक्त (मॉनिटरिंग)